

मॉब लचिगि

प्रलमिस के लयि:

मॉब लचिगि, पूनावाला केस, मॉब लचिगि से संबंधति कानूनी प्रावधान ।

मेन्स के लयि:

मॉब लचिगि का कारण और इसे दूर करने के लयि कयि गए उपाय ।

चर्चा में क्यों?

पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री ने अमृतसर और कपूरथला में लचिगि की हालिया घटनाओं पर चर्चा व्यक्त की है ।

प्रमुख बडि:

■ परचिय:

- मॉब लचिगि एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल लोगों के एक बड़े समूह द्वारा लक्षति हसिा के कृत्यों का वर्णन करने के लयि कयिा जाता है ।
- भीड़ मानती है कविह पीड़ति को गलत कार्य (ज़रूरी नहीं क अवैध हो) करने के लयि दंडति कर रही है और किसी कानून का पालन कयिा बनिा कथति आरोपी को दंडति करने हेतु कानून अपने हाथ में लेती है ।

■ मॉब लचिगि का कारण:

○ असहषिणुता:

- लोग कानून के कृत्यों को स्वीकार करने में असहषिणु हैं और कथति व्यक्तिको अनैतिक मानते हुए दंडति करने के लयि आगे बढ़ते हैं ।

○ पूर्वाग्रह:

- जाति, वर्ग, धर्म आदि जैसी वभिन्न पहचानों पर आधारति पूर्वाग्रह : मॉब लचिगि एक घृणति अपराध है जो वभिन्न जातियों, लोगों और धर्मों के बीच पूर्वाग्रहों के कारण बढ़ रहा है ।

○ गौ हत्या के आरोप में लचिगि:

- यह उन महत्त्वपूर्ण कारणों में से एक है जो मॉब लचिगि की गतिविधियों में तेज़ी से वृद्धि करता है ।

○ शीघ्र न्याय का अभाव:

- न्याय प्रदान करने वाले अधिकारियों का अकुशल कार्य ही प्राथमिक कारण है कलोग कानून को अपने हाथ में लेते हैं तथा परिणामों से डरते नहीं हैं ।

○ पुलिस प्रशासन की अक्षमता:

- पुलिस अधिकारी लोगों के जीवन की रक्षा करने और लोगों के बीच सद्भाव बनाए रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं लेकिन उनकी अप्रभावी जाँच प्रक्रिया के कारण यह घृणति अपराध दनि-ब-दनि बढ़ता ही जा रहा है ।

■ मॉब लचिगि के प्रकार: कारणों के आधार पर मॉब लचिगि को छह प्रकारों में वर्गीकृत कयिा जा सकता है:

- सांप्रदायिक आधारति
- जादू-टोना
- सम्मान की रक्षा हेतु हत्या
- गोजातीय-संबंधी मॉब लचिगि
- बच्चा चोरी का शक
- चोरी के मामले

■ संबंधति मुद्दे:

- मॉब लचिगि मानव गरमि का उल्लंघन है, साथ ही यह संवधान के [अनुच्छेद-21](#) और 'मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा' का भी उल्लंघन है ।
- ऐसी घटनाएँ 'समानता के अधिकार और 'भेदभाव के निषिध' संबंधी मौलिक अधिकारों का भी उल्लंघन करती हैं, जो भारत के संवधान

के अनुच्छेद-14 और 15 में नहिंति हैं।

- हालाँकि देश के कानून में कहीं भी इसका उल्लेख नहीं है और इसलिये इसे केवल हत्या के रूप में रखा गया है, क्योंकि इसे अभी तक भारतीय दंड संहिता के तहत शामिल नहीं किया गया है।

■ उठाए गए संबंधित कदम:

◦ नविकारक उपाय:

- जुलाई 2017 में सर्वोच्च न्यायालय ने तहसीन एस. पूनावाला बनाम यूओआई मामले में लचिगि और भीड़ की हिसा से नपिटने के लिये कई नविकारक, उपचारात्मक और दंडात्मक उपाय नरिधारति किये थे।
 - इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने मॉब लचिगि को 'भीड़ तंत्र का एक भयानक कृत्य' कहा।

◦ नामति फास्ट ट्रैक कोर्ट:

- राज्यों को हर ज़िले में वशिष रूप से मॉब लचिगि से जुड़े मामलों से नपिटने के लिये नामति फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापति करने का नरिदेश दिया गया था।

◦ स्पेशल टास्क फोर्स:

- न्यायालय ने नफरत भरे भाषणों, भड़काऊ बयानों और फेक न्यूज़ फैलाने में शामिल लोगों के बारे में खुफिया रपिर्त हासलि करने के उद्देश्य से एक वशिष टास्क फोर्स के गठन पर भी वचिार किया था, जसिके कारण मॉब लचिगि हो सकती है।

◦ पीड़ति मुआवज़ा योजना:

- पीड़ितों के राहत और पुनरवास हेतु पीड़ति मुआवज़ा योजनाओं (Victim compensation schemes) को स्थापति करने के लिये भी नरिदेश जारी किये गए।
- एक साल बाद जुलाई 2019 में सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र और कई राज्यों को नोटसि जारी कर कहा कवि उपायों को लागू करने की दशिा में उनके द्वारा उठाए गए कदमों को प्रस्तुत करें और अनुपालन रपिर्त दाखलि करें।
- अब तक केवल तीन राज्यों मणपुरि, पश्चिमि बंगाल और राजस्थान ने मॉब लचिगि के खलिाफ कानून बनाए हैं।
 - हाल ही में झारखंड वधिानसभा ने 'झारखंड मॉब वायलेंस एंड मॉब लचिगि नविकरण वधिियक 2021 को पारति किया है।

आगे की राह

- लचिगि एक ऐसी घृणति घटना है जसिका उस लोकतांत्रकि समाज में कोई स्थान नहीं होना चाहयि, जसि पर भारत को गर्व है।
- लचिगि की घटना शासन को वशिष रूप से अस्थरि करती है, जबकि भीड़ द्वारा की गई हिसा का कार्य स्वयं कानून प्रवर्तन की वफिलता का संकेत है, यह एक स्पष्ट वचिार के रूप में प्रतबिद्ध होती है जसिमें कानून की सहायता नहीं ली जाती है।
- भीड़ की हिसा के मामलों में पुलिस की नषिक्रयिता सदिधांतों को वकित रूप से तोड़मरोड़, पुलिस द्वारा न्यायेतर दंड की स्पष्ट सार्वजनकि स्वीकृति न दयि जाने के कारण देखी जाती है।
- यह देश के लयि घातक है। भीड़ की हसिक घटनाओं के कारण वास्तव में देश की बदनामी होती है और इसे समाप्त करने के लयि पुलिस को सख्ती के साथ हस्तकषेप करना चाहयि।
- भीड़ द्वारा की जाने वाली हसिक कार्यवाहयिों को अनुमतदिने वाली सामाजकि सहमतपर सवाल उठाने में राजनीतिक नेतृत्व की भी भूमकि होती है।

स्रोत: द हट्टू